न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 106/1989(जी.सी.एम.एस.1989/00001)

वादीगण

1. दलवीर सिंह पुत्र गिल्लू सिंह जाति महजबी सिख नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता गुरमेल कौर पत्नी गिल्लू सिंह जाति महजबी सिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर।
2. रामप्रताप पुत्र गिल्लू सिंह जाति महजबी सिख नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता गुरमेल कौर पत्नी गिल्लू सिंह जाति महजबी सिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जैला सिंह पुत्र झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर(मृतक)

1/1.पप्पी सिंह पुत्र जैला सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच।
1/2.कुलवन्त सिंह पुत्र जैला सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच।
1/3.बन्त सिंह पुत्र जैला सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच।
1/4. कुलदीप सिंह पुत्र जैला सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच।
1/5.सुखदीप सिंह पुत्र जैला सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच(मृतक)
1/5/1.जसप्रीत कौर पत्नी सुखदीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच ठड्डा।
1/5/2.गगनदीप पुत्री सुखदीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच ठड्डा।
1/5/3.जश्नदीप पुत्र सुखदीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एच ठड्डा।
1/6.पाली पुत्री जैला सिंह पत्नी पाल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला।
1/7. रानी पुत्री जैला सिंह पत्नी जीत सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला।
1/8. निक्की पुत्री जैला सिंह पत्नी गौरा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 19 जैड।
1/9. गौली पुत्री जैला सिंह पत्नी नक्षत्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया(मृतक)
1/9/1.हरजिन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया।
1/9/2. लखविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया।
1/9/3. करणपाल कौर पुत्री नक्षत्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया
1/9/4.राजवीर कौर पुत्री नक्षत्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया।
1/9/5. राजनदीप कौर पुत्री नक्षत्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया।
1/9/6. रिंकु कौर पुत्री नक्षत्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया।

2. काका सिंह पुत्र झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर(मृतक)

2/1. मनजीत कौर बेवा काका उर्फ सुखदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खुर्द।
2/2. अवतार सिंह पुत्र काका सिंह उर्फ सुखदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वाटर वर्क्स केसरीसिंहपुर।
2/3. बब्बू सिंह पुत्र काका सिंह उर्फ सुखदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वाटर वर्क्स केसरीसिंहपुर।
2/4. भोला सिंह पुत्र काका सिंह उर्फ सुखदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मस्जिद के पास केसरीसिंहपुर।
2/5. कीकी पुत्री काका सिंह उर्फ सुखदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 17 ओ।
2/6. सोमा पुत्री काका सिंह उर्फ सुखदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी गुरूनानक बस्ती नजदीक कोडियों वाली पुली श्रीगंगानगर।
2/7.पम्मी पुत्री काका सिंह उर्फ सुखदेव सिंह पत्नी पाल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी जोधा मलकाना।

3. गुरदेव सिंह पुत्र झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर(मृतक)

3/1.छिन्दो पत्नी गुरदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खुर्द

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

...करणपुर।

3/2.भिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।

3/3. कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।

3/4. जोगेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।

3/5. जसवीर कौर पुत्री गुरदेव सिंह पत्नी बलजिन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर।

4. हरदेव सिंह पुत्र झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।
5. गिल्लू सिंह पुत्र झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।
6. महेन्द्र सिंह पुत्र झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।
7. गुडो पुत्री झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।
8. छोटी पुत्री झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर(मृतक)

   8/1.पपला उर्फ राजवीर कौर पत्नी माणक सिंह पुत्री सुख सिंह जाति मजहबी सिख निवासी गुरूद्वारा के पास अबूबशहर तहसील डबवाली।

   8/2.रीटी उर्फ छिन्द्रपाल कौर पत्नी बलतेज सिंह उर्फ काला पुत्री सुखा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी पीरखाना के पास इन्द्रगढ तहसील संगरिया।

   8/3.पाछी पत्नी जगतार सिंह पुत्री सुखा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी पीरखाना के पास इन्द्रगढ तहसील संगरिया।

   8/4.बब्बी उर्फ चरणजीत कौर पत्नी मलकीत सिंह उर्फ किता सिंह पुत्री सुखा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी पीरखाना के पास इन्द्रगढ तहसील संगरिया।

   8/5.तेज सिंह पुत्र सुखा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी गुरूद्वारा वाली गली कीकरवाली तहसील संगरिया।

   8/6. परमा सिंह पुत्र सुखा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी पीरखाना के पास इन्द्रगढ तहसील संगरिया।

   8/7. सोहन सिंह उर्फ सोनी पुत्र सुखा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी पीरखाना के पास इन्द्रगढ तहसील संगरिया।

9. भूरो पुत्री झबरू सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

(राजस्व) ... (श्री गंगानगर) ... करणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

तारीख रजू:- 18.07.1989

उपस्थितः 1. श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता वादीगण

3. श्री इन्द्रजीत सिंह, श्री विनय गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :08.05.2024

--निर्णय--

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि मृतक जबरू सिंह वादीगण का दादा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का पिता था। जबरू सिंह के नाम चक 5 एस बी के मुरब्बा नम्बर 48 के 12-06 बीघा व मुरब्बा नम्बर 51 के 9-15 बीघा कुल 22-01 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जबरू सिंह अपने जीवनकाल में हम वादीगण व हमारे पिता गिल्लू सिंह के साथ रहता था। वादीगण का पिता ही जबरू सिंह की सेवा चाकरी करता था। बुढापे में वादीगण के दादा हमारे पिता की सेवा चाकरी से खुश होकर हम वादीगण के पक्ष में अपनी आराजी चक 5 एस बी के मुरब्बा नम्बर 48 के 12-06 बीघा व मुरब्बा नम्बर 51 के 9-15 बीघा कुल 22-01 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 16.05.1988 को उपपंजीयक श्रीकरणपुर से तस्दीक करवाई थी। वादीगण के दादा का देहान्त दिनांक 26.04.1988 को हो गया था। जबरू सिंह की मृत्यू के बाद मुताबिक वसीयत दिनांक 16.05.1988 के अनुसार जबरू सिंह की खातेदारी भूमि 22-01 बीघा हकदार व खातेदारान हम वादीगण बहिस्सा बराबर हिस्सेदारान हो चुके है। प्रतिवादीगण सख्यां 1 ता 9 का इस वसीयतशुदा भूमि में कोई हक, हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वसीयत के आधार पर मृतक जबरू सिंह के नाम दर्ज 22-01 बीघा दर्ज करवाने को कहा तो पहले तो वह आज कल करते रहे आखिरकार वादीगण की माता ने दिनांक 29.06.1989 को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

इस बाबत मलकाना खुर्द मे पंचायत करके मुताबिक वसीयत बहक वादीगण अमलदरामद करवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व कहने लगे कि हमने तो हमारे हक में आराजी जैर बहस का इन्तकाल विरास्तन काफी समय पहले कर लिया है। अब वसीयत के आधार पर इन्तकाल नहीं होने देगें। यही वाद कारण है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एस बी के मुरब्बा नम्बर 48 के 12-06 बीघा व मुरब्बा नम्बर 51 के 9-15 बीघा कुल 22-01 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का नाम विलोपित कर वादीगण को वसीयत का रूह से बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिए अधिवक्तागण जवाब दावा पेश करने पर तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण में साक्ष्यवादी व साक्ष्यप्रतिवादी ली जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.05.2001 द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एस बी के मुरब्बा नम्बर 48 नया 12 के 12-06 बीघा व मुरब्बा नम्बर 22 नया 7 पुराना के 9-15 बीघा कुल 22-01 बीघा नहरी/बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज विरास्तन इन्तकाल दिनांक 20.03.1989 को मन्सूख किया जाता है तथा मृतक जबरू सिंह की वसीयत दिनांक 16.05.1988 की रूह से वादीगण दलवीर सिंह, रामप्रताप पिसरान गिल्लू सिंह कौम मजहबी साकिन मलकाना खुर्द को खातेदार घोषित किए जाने की अंतिम डिक्री जारी की गई।

2.न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.05.2001 के विरूद्व पक्षकारान जैला सिंह आदि के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.10.2003 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.05.2001 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि वसीयतकर्ता की मृत्यू दिनांक 24.06.1988 के बाद विरास्तन इन्तकाल दिनांक 20.03.1989 को तस्दीक होने के बीच वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही नहीं किया जाना, अपने-आपमें विचारणीय बिंदू है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर विचार नहीं किया तथा वसीयत के पंजीकृत होने से ही उसे वैध मान लिया, जबकि पंजीकृत वसीयत को अस्वीकार करने पर हर प्रकार से साबित करना पडता है। उक्त विश्लेषण के सन्दर्भ में पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित किया जावे।

3. प्रकरण न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिए जाकर पक्षकारों को तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण दिनांक 23.03.2011 को अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज फरमाया गया। दिनांक 07.04.2011 को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी पेश किया, जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रकरण रिस्टोर किए जाने के आदेश दिए गए। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7,8,9,15 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किए। जो बाद सुनवाई किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 8, 1/5, 1/9, 4 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए गए। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 12 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 काका सिंह के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। साक्ष्यवादी में गवाह रामप्रताप उपस्थित आया व जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। साक्ष्यप्रतिवादी में काका सिंह, जोगेन्द्र सिंह, गिल्लू सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए।

4.हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया गया। हम प्रकरण में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के आदेशानुसार तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तनकी संख्या 1:- आया मुताबिक वसीयत दिनांक 16.05.1988 वादीगण बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-1 जमाबन्दी चक 5 एस बी के मुरब्बा नम्बर 12, 22 की कुल 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि जबरू वल्द भगता कौम मजहबी सिख साकिन मलकाना खुर्द के नाम खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-2 वसीयत दिनांक 16.05.1988 के अनुसार वसीयतकर्ता जबरू सिंह पुत्र भगता के द्वारा अपने नाम दर्ज चक 5 एस बी की 22 बीघा भूमि बहक अपने पोते वादीगण दलवीर सिंह, रामप्रताप सिंह पिसरान गलू सिंह के पक्ष में रूबरू गवाहन देवकीनन्दन व नर सिंह निष्पादित करवाई गई है, जो उपपंजीयक श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 16.05.1988 पंजीकृत करवाई गई हैं। पूर्व में करवाए गए ब्यान गवाहन देवकीनन्दन व नर सिंह ने स्वीकार किया गया है कि वादीगण के पक्ष में करवाई गई वसीयत दिनांक 16.05.1988 हमारे सामने लिखवाकर उपपंजीयक तहसीलदार से पंजीकृत करवाई गई थी। पूर्व में गई साक्ष्यप्रतिवादी में प्रतिवादी के द्वारा अपने ब्यानों व दस्तावेजात से यह सिद्ध नहीं किया है कि तथाकथित पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.05.1988 फर्जी व कूटरचित हैं। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि वसीयतकर्ता की मृत्यू दिनांक 24.06.1988 के बाद विरास्तन इन्तकाल दिनांक 20.03.1989 को तस्दीक होने के बीच वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही नहीं किया जाना, अपने-आपमें विचारणीय बिंदू है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विन्दू पर विचार नहीं किया गया है। उक्त के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि सरपंच ने विरास्तन इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व हम वादीगण व प्रतिवादीगण भूरो, छोटी, गुडडो आदि को नहीं बुलाया और ना ही इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच पडताल कब्जा आदि के बारे में की। वादीगण की माता ने प्रतिवादीगण को वसीयत के आधार पर मृतक जबरू सिंह के नाम दर्ज 22-01 बीघा दर्ज करवाने को कहा तो पहले तो वह आज कल करते रहे आखिरकार वादीगण की माता ने दिनांक 29.06.1989 को इस बाबत मलकाना खुर्द मे पंचायत करके मुताबिक वसीयत बहक वादीगण अमलदरामद करवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व कहने लगे कि हमने तो हमारे हक में आराजी जैर बहस का इन्तकाल विरास्तन काफी समय पहले कर लिया है। अब वसीयत के आधार पर इन्तकाल नहीं होने देगें। वादीगण की माता को विरास्तन इन्तकाल दिनांक 20.03.1989 की जानकारी प्रतिवादीगण से मिलना जाहिर किया गया है। लिहाजा वसीयत दिनांक 16.05.1988 जबरू सिंह पुत्र भगता बहक दलवीर सिंह, रामप्रताप सिंह पिसरान गलू सिंह, जो उपपंजीयक श्रीकरणपुर से पंजीकृत है। इसके साथ वसीयत के गवाहन देवकीनन्दन व नर सिंह ने भी ब्यानो में स्वीकार किया है कि जबरू सिंह के द्वारा पूर्ण होशो-हवास में हमारे सामने उक्त वसीयत दलवीर सिंह, रामप्रताप सिंह के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। उक्त वसीयत दिनांक 16.05.1988 को निरस्त करवाने बाबत प्रतिवादीगण के द्वारा सिविल न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की है। उपपंजीयक श्रीकरणपुर से पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.05.1988 अस्तित्व में है, जो वैध व विश्वसनीय दस्तावेजात है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2:- आया वादी व प्रतिवादीगण के नाम जो इन्तकाल विरास्तन 20.03.1989 को दर्ज हुआ उसे मन्सूख कराने के वादीगण अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। लिहाजा वादीगण, प्रतिवादीगण के नाम दर्ज विरास्तन इन्तकाल दिनांक 20.03.1989 को निरस्त करवाकर बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3:- आया कि जिस दौरान वसीयत कराई गई है कि उन दिनों जबरू सिंह बीमार था उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। जिस कारण वसीयत उस द्वारा नहीं की गई है। वसीयत के आधार पर वादीगण किसी तरह का हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वसीयतकर्ता जबरू सिंह की वसीयत करते समय दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह बीमार था। वसीयत के गवाहन देवकीनन्दन व नर सिंह ने भी ब्यानो में स्वीकार किया है कि जवरू सिंह के द्वारा पूर्ण होशो-हवास

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

में हमारे सामने उक्त वसीयत दलवीर सिंह, रामप्रताप सिंह के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4:- आया कि वसीयत दिनांक 16.05.1988 को होने के उपरान्त विरास्तन नामान्तरण दिनांक 20.03.1989 को तस्दीक होने तक वादीगण द्वारा वसीयत पेश नहीं किया जाना सामान्य भूल है या कोई अन्य कारण?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि सरपंच ने विरास्तन इन्तकाल संख्या 62 दिनांक 20.03.1989 तस्दीक करने से पूर्व हम वादीगण व प्रतिवादीगण भूरो, छोटी, गुडडो आदि को नहीं बुलाया और ना ही इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच पडताल कब्जा आदि के बारे में की। लिहाजा सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना खूर्द के द्वारा वादगत भूमि के विरास्तन इन्तकाल संख्या 62 दिनांक 20.03.0989 तस्दीक करते समय वादीगण के माता-पिता को नहीं बुलाये जाने के कारण, जवरू सिंह की मृत्यू दिनांक 24.06.1988 को होने से लेकर विरास्तन इन्तकाल संख्या 62 दिनांक 20.03.1989 दर्ज होने तक वादीगण के माता-पिता के द्वारा वसीयत पेश नहीं किया जाना एक सामान्य भूल कही जा सकती है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

5.अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2, 4 बहक वादीगण एंव तनकी संख्या 3 विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-: क्रियात्मक आदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नम्बर 12, 22 की कुल 5.362 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज विरास्तन इन्तकाल दिनांक 20.03.1989 को निरस्त किया जाकर मृतक जवरू सिंह की पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.05.1988 की रूह से वादीगण दलवीर सिंह, रामप्रताप पिसरान गिल्लू सिंह कौम मजहबी साकिन मलकाना खुर्द को उक्त 5.362 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाव्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दलवीर सिंह आदि बनाम जैला सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 106/1989
निर्णय दिनांक :- 08.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग के उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एस बी, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नम्बर 12, 22 की कुल 5.362 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज विरास्तन इन्तकाल दिनांक 20.03.1989 को निरस्त किया जाकर मृतक जबरू सिंह की पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.05.1988 की रूह से वादीगण दलवीर सिंह, रामप्रताप पिसरान गिल्लू सिंह कौम मजहबी साकिन मलकाना खुर्द को उक्त 5.362 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आज दिनांक 08.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 08.05.2024

क्रमांक: रीडर/2024/183
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)